न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4298–पीबीआर/2014 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–11–2014 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, तहसील टिमरनी, जिला हरदा के प्रकरण कमांक 01/अ–13/2014–15.

.....

सुभाष पिता हरिराम
निवासी रूदलाय तहसील टिमरनी,
जिला हरदा म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

संदीप पिता कैलाश
निवासी ग्राम करताना तहसील टिमरनी
जिला हरदा म0प्र0

..... अनावेदक

.....

श्री रविशंकर गिल्लौरे अभिभाषक–आवेदक
श्री रत्नेश दुबे, अभिभाषक–अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/7/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, तहसील टिमरनी, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसील टिमरनी के समक्ष संहिता की धारा 131 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि उसके भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि सर्वे कमांक 175/7 रकबा 1 एकड़ पर आने जाने के लिये रास्ता आवेदक की भूमि के उत्तरी मेढ़ से रहा

है । उक्त रास्ते को आवेदक द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, अतः रास्ता खुलवाया जाये । आवेदन पत्र के साथ संहिता की धारा 32 के तहत अंतरिम रूप रास्ता खुलवाये जाने का आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 01/अ–13/2014–15 दर्ज कर दिनांक 21–11–2014 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक को निर्देश दिये गये कि वह रास्ते में अवरोध पैदा न करें और राजस्व निरीक्षक को रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 26–4–2016 को इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि उभयपक्ष के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु आवेदक की ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्को के संदर्भ में किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन रास्ता पुस्तैनी रास्ता नहीं होने के बावजूद भी रास्ता खुलवाये जाने का आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

(2) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में नक्शा प्रस्तुत किया गया है जिसमें मौके पर कोई भी पुस्तैनी अथवा शासकीय रास्ता नहीं है । उक्त नक्शे को नजरअंदाज कर आदेश पारित करने में तहसील न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है ।

(3) सर्वे कमांक 161 चूँकि शासकीय रास्ता है, वह आवेदक की भूमि सर्वे कमांक 170/2, 176/2, 176/4 की मेढ़ पर आकर समाप्त हो जाता हे और आगे कोई रास्ता नहीं है ।

(4) तहसीलदार द्वारा आचार संहिता लागू होने पर भी अनावेदक को लाभ पहुँचाने की दृष्टि से प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अनावेदक विधायक संजय शाह का प्रतिनिधि है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने राजनैतिक दबाव में आकर साक्ष्य लिये बिना ही आदेश पारित किया है, जो अन्यायपूर्ण कार्यवाही होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

5/ अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) प्रश्नाधीन रास्ता पुस्तैनी रास्ता होकर रूढिगत रास्ता है और आवेदक द्वारा अनावेदक को परेशान करने के उद्देश्य से रास्ता अवरूद्ध किया गया है जिसे खोले जाने के आदेश देने में तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय में आवेदक द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया है कि अनावेदक द्वारा बिना परिवारवालों की सहमति के भूमि क्रय की गई है, इसलिये रास्ता नहीं दिया गया है, इससे स्पष्ट है कि मौके पर प्रश्नाधीन रास्ता था ।

(3) तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–14 के विरूद्ध आवेदक द्वारा प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 जिला हरदा के समक्ष व्यवहारवाद प्रस्तुत किया गया था, जिसमें तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–14 के विरूद्ध आदेश 39 नियम 1 व 2 के तहत निषेधाज्ञा हेतु आवेदन पत्र भी प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हो चुका है, इसलिये यह माना जायेगा कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया जाकर रास्ता खुलवाये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । तहसीलदार को अभी प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण करना है, जहॉ आवेदक को पक्ष–समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और वह प्रश्नाधीन रास्ता मौके पर नहीं होना एवं उसे उसके द्वारा अवरूद्ध नहीं किया जाना प्रमाणित

कर सकता है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तहसीलदार को निर्देशित किया जाये कि वे दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, तहसील टिमरनी, जिला हरदा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–11–2014 स्थिर रखा जाता है । प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को वापिस भेजा जाता है कि वे प्रकरण का दो माह में अंतिम निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर